



पंचदश

बिहार विधान-सभा

चतुर्दश सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 16 आषाढ़ 1938 (श।0)
7 जुलाई, 2014 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 31

(1) गृह विभाग	15
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	02
(3) गन्ना उद्योग विभाग	04
(4) उद्योग विभाग	01
(5) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	01
(6) सामान्य प्रशासन विभाग	02
(7) वित्त विभाग	03
(8) सांस्थिक वित्त विभाग	03
		कुल योग	<u>31</u>

चीनी उद्योग लगाना

क'-* 14. श्री रामायण मौंड्री—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि सीवान जिला अन्तर्गत तीन चीनी मिल स्थापित की गयी थी जो अग्रे 1980 से बन्द पड़ा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सीवान जिलान्तर्गत गन्ना युक्त मिट्टी होने के बावजूद एक भी चीनी मिल चालू नहीं होने के कारण किसानों का आय का स्रोत बन्द हो जाने से भुखमरी के कगार पर है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित के लिये सीवान जिलान्तर्गत चीनी उद्योग लगाना चाहती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

* 278. श्री (मो०) आफाक आलम—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत करबा प्रखण्ड के देवादा गाँव की कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान से संबंधित विषय पर विवाद होता रहा है ;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

* 279. श्री अमरेन्द्र कुमार पांडेय—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखण्ड के नेघुआ पाण्डेय (जल टोली) में आजतक कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान का इस्तेमाल चारागाह के रूप में होता है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वित कराना

* 280. श्री जितेन्द्र कुमार—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिला के अस्थावा विधान-सभा क्षेत्र के बिन्द प्रखंड के उच्च विद्यालय, अमरावती के निकट एवं सरनेरा प्रखंड के ग्राम-इसुआ में ओ०पी० खोलने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में लिया गया था, जिसका कार्यान्वयन आजतक नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा उक्त निर्णय को सरकार कबतक कार्यान्वित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घटना को रोकना

* 281. डॉ० अच्युतानन्द—दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 12 अप्रैल, 2014 के अंक में छपी खबर 'बिहार में हर आठ घंटों पर बलात्कार की एक घटना' शीर्षक के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2013 के पुलिस आंकड़ों के अनुसार राज्य में 1,128 महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया गया और वर्ष 2014 के जनवरी माह में 72 एवं फरवरी माह में 87 बलात्कार के मामले राज्य के विभिन्न थानों में दर्ज किये गये, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ रही दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने हेतु कौन-सा उपाय करने का विचार रखती है और कबतक, नहीं, तो क्यों ?

बकाये राशि का भुगतान

* 282 श्री मंजीत कुमार सिंह—क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वर्ष 2012-13 में मोतिहारी सुगर मिल द्वारा 546.01 करोड़ एवं सासामुसा सुगर मिल द्वारा 193.87 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2013-14 में बगहा चीनी मिल द्वारा 5597.92 करोड़, हरौनगर चीनी मिल द्वारा 3465.74 करोड़, नरकटियागंज चीनी मिल द्वारा 7199.03 करोड़, मझौलिया चीनी मिल द्वारा 7183.02 करोड़, सासामुसा चीनी मिल द्वारा 3847.59 करोड़, गोपालगंज चीनी मिल द्वारा 5861.10 करोड़, सिधवलिया चीनी मिल द्वारा 7297.58 करोड़, रीगा चीनी मिल द्वारा 8804.69 करोड़, हरानपुर चीनी मिल द्वारा 2054.99 करोड़, लौरिया चीनी मिल द्वारा 3809.60 करोड़, सुगौली चीनी मिल द्वारा 5133.81 करोड़, प्रतापपुर चीनी मिल द्वारा 1582.77 करोड़, हटा चीनी मिल द्वारा 138.52 करोड़ कुल 31976.36 करोड़ राशि का भुगतान गन्ना किसानों को नहीं किया गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बकाये राशि का भुगतान करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 283. श्री अम्बिका सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कैमूर जिलान्तर्गत प्रखंड रामगढ़ में टईयाँ गाँव की कब्रिस्तान की घेराबंदी आजतक नहीं हुआ है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त गाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने से अतिक्रमण हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त गाँव के कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 284. श्री राजेश सिंह—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि 40 चम्पारण जिलान्तर्गत बगहा-2 प्रखंड के हरनाटौंड एवं कटकुइयाँ ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान का अतिक्रमण हो रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 285. श्री अखतरूल इस्लाम शाहिन—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत प्रखण्ड समस्तीपुर के ग्राम-धरमपुर में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण अतिक्रमण जारी है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

ख—* 286. श्री राजेश्वर राज—क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि रोहतास जिलान्तर्गत सन् 1982 से ही स्थापित विक्रमगंज अनुमंडल मुख्यालय में एक भी निरीक्षण भवन/परिसदन का निर्माण नहीं कराने से सरकारी अधिकारियों सहित अन्य सम्मानित आगन्तुकों को ठहरने में काफी असुविधा होती है, यदि हाँ, तो क्या सरकार विक्रमगंज अनुमंडल मुख्यालय में निरीक्षण भवन/परिसदन का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबंदी

* 287. श्री अमरेंद्र कुमार पांडेय—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कुचायकोट प्रखंड के ग्राम पंचायत मठिया हरदो के ग्राम जवदौली में आजतक कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं की गई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं होने के कारण कब्रिस्तान का इस्तेमाल चारागाह के रूप में होता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

* 288. श्री सुरेन्द्र मेहता—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बेगूसराय जिले के बी०एम०पी०-8 में पहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बी०एम०पी० 8 की घेराबंदी (पहारदीवारी) कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जीर्णोद्धार कराना

* 289. डॉ० दाउद अली—क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बक्सर जिलान्तर्गत बेलहरी ग्राम के कब्रिस्तान की घेराबंदी लगभग 15 वर्ष पूर्व किया गया था, जो वर्तमान में टूटकर जर्जर स्थिति में है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बेलहरी कब्रिस्तान के क्षतिग्रस्त घेराबंदी का जीर्णोद्धार कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्ध कराना

* 290. श्री संजय सरावगी—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दरभंगा अवस्थित महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह क्षेत्रीय अभिलेखागार में महत्वपूर्ण अभिलेख का डिजिटलाइजेशन नहीं होने के कारण इसको संरक्षित कर पाना संभव नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार महाराजाधिराज रामेश्वर सिंह दरभंगा क्षेत्रीय अभिलेखागार के दस्तावेजों को डिजिटलाइजेशन कर संरक्षित करने एवं आम शोधार्थी के लिये उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उप-कोषागार की स्थापना

* 291. श्री मनोहर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के मनिहारी प्रखण्ड अन्तर्गत मनिहारी नगर में मनिहारी अनुमण्डल की स्थापना 30 सितम्बर, 1994 में हुई है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अनुमण्डल मुख्यालय होते हुये भी अबतक उप-कोषागार की स्थापना नहीं हो पायी है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर उप-कोषागार की स्थापना करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

फायर ब्रिगेड स्टेशन संख्या बढ़ाना

* 292. डॉ० इजहार अहमद—स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 23 मई, 2014 को प्रकाशित शीर्षक "आबादी 20 लाख फायर स्टेशन पाँच" को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला स्थित पटना में 22 लाख से अधिक शहर की आबादी हो गई है लेकिन यहाँ फायर स्टेशन की संख्या मात्र पाँच ही है मुख्य शहर के लिये मात्र तीन फायर स्टेशन यथा लोदीपुर, कंकडबाग और सचिवालय ही है एवं दो फुलवारी और पटना सिटी के फायर स्टेशन के बाहरी इलाको में ही कोन्स्रित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि फायर स्टेशन में औसतन चार गाड़ियाँ ही होती है, इस तरह एक लाख से अधिक आबादी पर फायर ब्रिगेड, की मात्र एक गाडी ही उपलब्ध है एवं बड़े शहरों की तुलना में यह अनुपात बहुत ही कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य हित में फायर ब्रिगेड स्टेशन की संख्या बढ़ाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*293. श्री गोपालजी ठाकुर क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि

(1) क्या यह बात सही है कि दरभंगा जिलान्तर्गत किरौल अनुमंडल स्थित पड़री ग्राम में राष्ट्रीय बैंक की शाखा नहीं रहने के कारण 50 हजार की आबादी को बैंक से लेन देन में काफी कठिनाई हो रही है;

(2) क्या यह बात सही है कि पड़री से 07 कि०मी० दूरी पर एक भारतीय स्टेट बैंक शाखा होने से काफी भौड़ भाड़ रहतो है;

(3) यदि उपयुक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार जनहित में पड़री ग्राम में राष्ट्रीय बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

घेराबंदी कराना

*294. श्री महेन्द्र बैला—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि वैशाली जिला के पातेपुर एवं बलिगाँव, तिसिऔता थाना की चहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो क्या सरकार सुरक्षा की दृष्टि से उक्त थानों की घेराबंदी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उप कोषागार खोलना

*295. श्री सदानन्द सिंह क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला के अनुमंडल कार्यालय में उप कोषागार नहीं रहने के कारण काफी कठिनाई हो रही है, यदि हाँ, तो कहलगौंव अनुमंडल में उप कोषागार कबतक खोलने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

जिला का दर्जा देना

*296. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि चकिया अनुमंडल पूर्वी चम्पारण जिला का एक ऐतिहासिक एवं पुराना अनुमंडल है, जो जिला का दर्जा पाने हेतु सभी अहताओं को पूरा करता है, यदि हाँ, तो क्या सरकार चकिया को जिला का दर्जा देने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बैंक की शाखा खोलना

*297. श्री मनोहर प्रसाद सिंह - क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(1) क्या यह बात सही है कि कटिहार जिला के अमदाबाद प्रखण्ड अन्तर्गत गुआगाछी, भागीडीह, किसनपुर, धनमनिया, लालबथानी, छरमारी, गारदटोला मिलाकर 40 हजार आबादी है, और इन गाँव के लोगों के लिये कोई बैंक सुविधा नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि किसनपुर गाँव इन गाँव के मध्य में पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसनपुर गाँव में एक ग्रामीण बैंक की शाखा खोलने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*298. श्री प्रदीप कुमार - क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत प्रखण्ड पकरीवरावाँ में अल्पसंख्यक बच्चों के लिये कोई छात्रावास नहीं है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के अल्पसंख्यक बच्चों को पकरीवरावाँ में रहकर पढ़ाई करने में काफी दिक्कत होती है एवं उक्त के लिये जमीन भी उपलब्ध है, यदि हाँ, तो क्या सरकार पकरीवरावाँ में अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्यान्वित करना

*299. श्री जितेन्द्र कुमार - क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि नालंदा जिलान्तर्गत अस्थावाँ प्रखण्ड में राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2006-07 में चीनी मिल की स्थापना करने का निर्णय लिया है, लेकिन आजतक उक्त स्थान पर चीनी मिल की स्थापना नहीं की जा सकी है, यदि हाँ, तो इसका क्या औचित्य है तथा सरकार अपने निर्णय को कबतक कार्यान्वित करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*300. श्री संजय सिंह (टाईगर) - क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत संदेश प्रखण्ड के तिलहौस गाँव में अवस्थित कब्रिस्तान में चहारदीवारी नहीं है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त कब्रिस्तान का चहारदीवारा बनाने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

बकाये राशि की वसूली

*301. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पेराई वर्ष 2012-13 को देय ईख कर 1017.29 करोड़ था, जिसके विरुद्ध मात्र 20 करोड़ ईख कर की वसूली हुई और 997.29 करोड़ बाकी रह गया है, यदि हाँ, तो क्या सरकार बकाये राशि की वसूली के लिये कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

उद्योग लगाना

*302. श्री संजय सिंह (टाइगर)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिला के कोइलवर प्रखंड में आलू, टमाटर तथा हरी सब्जियों का अल्पधिक उत्पादन होता है ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नहीं होने से किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है और उन्हें औने-पौने भाव में अपना उत्पादन बेचना पड़ता है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कोइलवर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

सुविधा देना

*303. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह--क्या मंत्री, सौंस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के केसरिया प्रखंड के एस०एच० 74 पर अवस्थित विजधरी (दिलिया) बाजार 30 हजार आबादी का है, जहाँ कोई राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि स्थानीय व्यवसायियों तथा किसानों को पूर्णरूपेण बैंक नहीं होने से सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार विजधरी (दिलिया) बाजार पर राष्ट्रीयकृत बैंक का शाखा खोलकर किसानों एवं व्यवसायियों को सुविधा देने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मदरसा का भवन निर्माण

*304. श्रीमती मुनीता सिंह--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बेलमंड मदरसा इस्लामिया अरबिया उनशारूल उमुल का भवन निर्माण हेतु 45 लाख रुपया वर्ष 2012 में आवंटित किया गया, परन्तु कार्य अभीतक आरम्भ नहीं हो पाया है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त मदरसा का भवन निर्माण प्रारम्भ कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उप-कोषागार स्थापित करना

*305. श्री राजेश सिंह--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि प० चम्पारण जिलान्तर्गत मधुवनी प्रखण्ड में उप-कोषागार नहीं है ;
- (2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रखण्ड में उप-कोषागार नहीं होने के कारण शिक्षक एवं अन्य कर्मियों का वेतन भुगतान समय पर नहीं हो पाता है ;
- (3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्रखण्ड में उप-कोषागार स्थापित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*306. श्रीमती नीता चौधरी--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मुंगेर जिला के तारापुर प्रखंड अन्तर्गत लखनपुर ग्राम के मिल्की मोहल्ला में अवस्थित 500 वर्ष पुराना लखनपुर कब्रिस्तान है, जिसकी घेराबन्दी आजतक नहीं हुई है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कब्रिस्तान की घेराबन्दी

*307. श्री (मो०) आफाक आलम--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

- (1) क्या यह बात सही है कि पूर्णियाँ जिलान्तर्गत कसबा प्रखण्ड के मोहली टिक्कापुर पंचायत के मिर्जावारी कब्रिस्तान की घेराबन्दी नहीं की गई है ;
- (2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कब्रिस्तान की घेराबन्दी कराने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना: .

दिनांक 7 जुलाई, 2014 (ई०) ।

हरे राम मुखिया,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।